

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE No.102/89

No.: E(NG)I/80/TR/28

New Delhi, dated: 13/04/1989

The General Managers (P),
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per Standard List attached).

Sub: Inter-divisional transfer of
Ticket Checking Staff.

As the Railways are aware, in terms of the existing orders, ticket checking staff detected to be indulging in mal-practices are required to be sent on inter-divisional transfer as a matter of policy. It was also clarified under Board's letter of even number dated 19/2/1986 that the ticket checking staff who were transferred out of the division on complaints of corruption and were later exonerated or awarded a penalty of censure, may not be brought back to the parent division, even if they so desire.

2. This issue came up for discussion in the Departmental Council under JCM on 30/31-12-1986 when it was agreed that particulars of special cases of hardship will be furnished by the Staff Side which cases would be examined on merits.

3. The matter has since been reviewed by the Board and it has been decided that General Managers may review the cases of inter-divisional transfers of staff ordered by them on suspicion of mal-practices, if after proper enquiry, such staff are fully exonerated. A reference to the Railway Board will be necessary only in cases where the transfer has been ordered at the instance of the Board. The review will be done by the General Manager personally and these powers will not be delegated further.

Please acknowledge receipt.

DB: NIL


(K. B. LALL)
JOINT DIRECTOR, ESTABLISHMENT (N)
RAILWAY BOARD.

.....2.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं० ई॥सं जी॥ 1/80/टी.आर./28

नयी दिल्ली, दि० 13-4-89

महाप्रबन्धक॥पी॥

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि
॥संलग्न मानक सूची के अनुसार॥

विषय:- टिकट जांच कर्मचारियों का अन्तर-मंडलीय स्थानान्तरण ।


XXXXXX

जैसे कि रेलें जानती हैं, वर्तमान आदेशों के अनुसार, अनाचार करते हुए पकड़े गये टिकट जांच कर्मचारियों को सूचनीय के तहत अन्तर-मंडलीय स्थानान्तरण पर भेजा जाना अपेक्षित होता है । बोर्ड के 19-2-1986 के समसंख्यक पत्र द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि टिकट जांच कर्मचारी जिन्हें अनाचार की शिकायतें मिलने पर मंडल से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था अथवा जिन्हें निन्दा की शास्ति दी गयी थी, उन्हें उनके मूल मंडल में वापस नहीं लिया जा सकता है, यदि वे ऐसा चाहें भी ।

2. यह मुद्दा 30/3/12-1986 को जे सी एस के अधीन विभागीय परिषद में विचार-विमर्श के लिए आया था जब यह सहमत हुई थी कि कुछ तकलीफ के विशेष मामले कर्मचारी पक्ष द्वारा भेजे जायेंगे और इन्हें गुण-बोध के आधार पर परखा जायेगा ।

3. मामले पर बोर्ड द्वारा हाल ही में विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया है कि महाप्रबन्धक उन कर्मचारियों के मामलों पर पुनः विचार कर सकते हैं जिनका उन्होंने अनाचार के संदेह के कारण अन्तर मंडलीय स्थानान्तरण कर दिया था बशर्ते कि उपर्युक्त जांच के बाद से कर्मचारियों को पूर्ण रूप से आरोप मुक्त कर दिया जाये । रेलवे बोर्ड का हवाला देना केवल उन्हीं मामलों में आवश्यक होगा जहां पर स्थानान्तरण बोर्ड के आदेशानुसार किया गया हो । समीक्षा महाप्रबन्धक द्वारा स्वयं ही की जायेगी और इन शक्तियों को आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जायेगा ।

कृपया पत्र की प्रतिलिपि दें ।



॥के० सी० चटर्जी॥

संयुक्त निदेशक; स्था०॥अराज०॥रेलवे बोर्ड

संलग्न: कुछ नहीं ।

No.: E(NG)I/80/TR/28

New Delhi, dated: 13 / 04 / 1989

Copy to:

- (i) The General Secretary, All India Railwaymen's Federation, 4, State Entry Road, New Delhi-110055 (with 35 spares).
- (ii) The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi-110055 (with 35 spares).
- (iii) All Members of National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi-110001.


for SECRETARY/RAILWAY BOARD.

Copy to:

PSS to:- MT, MS & ADVISER (STAFF).

Sr.PAs:- ED(E), ED(V), EDE(R), DE(N), DE(C),
DE(T&MPP)

JDE(N), JDE(R) I & II, JDE(REP),
JDE(D&A), DDE(N), DDE(R) I & II

E(REP) I, II & III, E(SCT) I & II and
E(NG) II Branches of Board's Office.

सं० ई। एन. जी. १/८०/टी आर/२८

नयी दिल्ली, १० १३-१-८९

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय कर्मचारी संगठन, 4 स्टेट स्ट्रीट रोड, नयी दिल्ली-110055 अतिरिक्त प्रतियाँ सीद्धत।
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन, 3 चैम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली-110055 अतिरिक्त प्रतियाँ सीद्धत।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली-110001.

जी. ए. ल. पुन्नी
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड।